

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं०सं०-3/पेन-01-16/2017

आदेश

डा० दीनबन्धु शर्मा, पूर्व उप निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में सेवा निवृत्त) दिनांक 31.07.2017 के प्रभाव से सेवा हो चुके हैं, के फलस्वरूप बिहार सरकार, सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा पुरानी योजना 79 एवं नयी योजना 1997 के अन्तर्गत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4185/वि० दिनांक 13.7.1985 की कंडिका 5 एवं अधिसूचना संख्या 2757/वि० दिनांक 27.04.1998 के द्वारा निर्गत नियमावली के नियम 4(10) 8(1) एवं फैंक्स संवाद 2685/वि० (2) दिनांक 22.4.1998 के आलोक में कुल रूपये 2,64,796/- (दो लाख चौसठ हजार सात सौ छीयानवे रूपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2) उपर्युक्त संकल्प एवं अधिसूचना तथा नियमों के अन्तर्गत डा० शर्मा अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि तक योजना के सदस्य रहे हैं तथा बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप योजना एवं सरकारी कर्मचारी ऐच्छिक ग्रुप बीमा योजना में आदेशानुसार समय-समय पर निर्धारित दर क्रमशः 10/-, 20/-, 80/- एवं 120/- रूपये की दर से अंशदान के रूप में अपने वेतन से भुगतान करते रहे हैं जिसका व्याज सहित गणना निम्न प्रकार की जाती है :-

	मूलधन	व्याज	कुल योग	
(i) पुरानी ग्रुप बीमा योजना	—	13320	203587	216907
(ii) नयी ग्रुप बीमा योजना	—	19488	28401	47889
कुल योग	—	32808	231988	264796

कुल रूपये 2,64,796/- (दो लाख चौसठ हजार सात सौ छीयानवे रूपये मात्र ।

3) यह बजट शीर्ष-8011-बीमा एवं पेंशन निधियाँ राज्य सरकार के बीम निधि (व्यय) 105 राज्य सरकार बीमा निधि (1) से विकलनीय होगी ।

4) वर्णित राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा करने के पश्चात् डा० दीनबन्धु शर्मा, पूर्व उप निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में सेवा निवृत्त) को उनके भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या-20212570313 के माध्यम से भुगतान किया जायेगा ।

5) इस राशि की निकासी विपत्र कोड संख्या-एल-8011001050001 से की जाएगी।

6) आदेश में संयुक्त सचिव (शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित विभागीय आदेश संख्या-888(5) दिनांक 11.07.18 के आलोक में), स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०/-

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

पटना, दिनांक- 24/8/2018

ज्ञापांक-

645(3)

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा० दीनबन्धु शर्मा, पूर्व उप निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में सेवा निवृत्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3,8 एवं 9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी
24/8